केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार नई दिल्ली

पत्रांक / /2019–2020 दिनांक : 25.06.2019

विषय : किड्स एकेडमी, महेवा, प्रयागराज को सी.बी.एस.सी., नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ के पत्र संख्या 1916/15–7–09–1(209)/2007 दिनांक 14.07.2009 के द्वारा गठित मण्डलीय समिति की संस्तुति के आधार पर उक्त संदर्भित विद्यालय को (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि विद्यालय पूर्व में माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता होने की तिथि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र एवं पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन जारी नहीं किया जायेगा।
10. सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता से युक्त अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे।
11. संस्था द्वारा सोसाइटी के वाइलाज में यह भी प्राविधान किया जायेगा कि उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।
12. सी.बी.एस.सी. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की सेवा नियमावली का पालन किया जायेगा।
13. छात्र/छात्राओं से वही शुल्क लिया जायेगा जिन मदों में शुल्क अनुमन्य है।
14. शिक्षण कक्ष/प्रयोगशाला/पुस्तकालय/कार्यालय कक्ष मानक के अनुरूप ही रखे जायेंगे।
15. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में एक ही परिवार बाहुल्य नहीं रखा जायेगा।
16. विद्यालय द्वारा ग्राम समाज की भूमि तथा पनघट, गोबर, तालाब, खलिहान की जमीन का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा एवं सम्बद्धता के पूर्व संस्था में ... अप्रशिक्षित शिक्षकों के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक रखे जाये तथा संस्था के कर्मचारियों

Principal
Sankat Mochan Public School
Gosainganj, Lucknow

Principal
Gurukul Academy
Dehwa, Mohanlalganj
Lucknow-226301

PRINCIPAL

यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिकायत बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्र अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(महेन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबा

पृष्ठांकन सं. / 6567-74 2019—20 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त इलाहाबाद मण्डल—इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी इलाहाबाद।
3. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
4. निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. किड्स एकेडमी, महेवा, प्रयागराज
6. गार्ड फाइल।

(महेन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद